तहसीलदार बनाम कैला

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	99/2023 आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उप० अप्रार्थी उपस्थित और रिजवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। अभिलेख मिसल है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उप० बहस अन्तिम सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर ... बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:05:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :99 / 2023
निर्णय दिनांक : 13/6/24

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. कला पुत्र नूरा जाति पिनारा मुसलमान निवासी सांगानेर ।
2. रमजानी उर्फ चूल्या पुत्र नूरा जाति पिनारा मुसलमान निवासी सांगानेर।
3 श्री रामनगर कॉलोनी विकास समिति, सामुदायिक केन्द्र सांगानेर मालपुरा गेट के पास सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम सांगानेर के हाल खसरा 10 2990, 2991, 2997 की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के कला पुत्र नूरा हिस्सा 1/2. रमजानी उर्फ चूल्या पुत्र नूरा हिस्सा 1/2 जाति पिनारा मुसलमान सा.दे. खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम सांगानेर के हाल खसरा नं0 2990, 2991 2997 की भूमि पर श्री रामनगर आवासीय कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयाजन हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा नं० का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। खसरा नं0 2990, 2991, 2997 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया बाद में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। 6. यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:05:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करने के कारण ग्राम के ख0नं0 2990, 2991, 2997 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख०नं० रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के ओदश फरमाने की कृपा करे

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्टर नोटिस उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में अंकित किया कि पूर्व तहसीलदार महोदय के आदेश भू० अ०/विभागीय/635 दिनांक 31.01.2022 को श्रीराम नगर कॉलोनी साबी खसरा नम्बर 2356, 2357 हाल खसरा नम्बर 2990, 2991, 2997 की खातेदारी नगर निगम जयपुर ग्रेटर के नाम दर्ज करने हेतु उक्त आदेश की पालना जरिये हल्का पटवारी से सिवाय चक का नामांतरण दर्ज करवाकर ग्रेटर नगर निगम जयपुर के नाम नामांतरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है जाकर ग्राम के ख0नं0 2990, 2991, 2997 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख०नं० रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:05:53 IST
Reason: SelfAttested